U;k;ky; Hkw icU/k vf/kdkjh ,o inu
jktLo vihy ikf/kdkjh chdkuj
v'kkd lkxok vkj0,0,l0

vihy l0 70@2023

1. गोविन्द सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम गुंसाईसर हाल पंचायत समिति के पास रतनगढ जिला चूरू ।
2. श्रीमती मंजूकंवर धर्मपत्नी गोविन्दसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम गुंसाईसर हाल पंचायत समिति के पास रतनगढ जिला चूरू ।

vihykVl

cuke

1. रफीक पुत्र अलीमोहम्मद जाति न्यारिया (न्यारगर)निवासी हाल रतनगढ जिला चूरू ।
2. किसनलाल पुत्र छोटुलाल जाति सोनी निवासी रतनगढ जिला चूरू ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रतनगढ जिला चूरू ।
4. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार राजलदेसर जिला चूरू ।

5- उप पजींयक राजलदेसर ।

jLikM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री मनोज ठंठेरा अधिवक्ता अपीलांटस
2. श्री हरिश कुमार जैसल अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh jrux<
vkns'k fnukd 20-07-2023 ds fo:} vihy
vUrxr /kkjk 225 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

<u>fu.k;</u> दिनांकः—09.10.2023

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय रतनगढ के प्रार्थना पत्र सं0 302/2023 अनुवान रफीक बनाम गोविन्द सिह आदि में निर्णय दिनांक 20.07.2023 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है ।

वादगत खेत खसरा नम्बर 354 व 371 कुल तादादी 15.3528 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम पायली तहसील रतनगढ में स्थित है । उक्त वादगत कृषि भूमि में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है के विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।

2. अपीलांट अभिभाषक ने अपनी अपील के समर्थन में बहस में निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 354,371 तादादी 15.3528 हैक्टैयर वाके ग्राम रोही पायली तहसील रतनगढ में स्थित है । उक्त वादगत कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पो0 सं0 2 ता 5 की अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें विभाजन बाबत रेस्पो0 सं0 1 के द्वारा विभाजन का दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय कार्यवाही करते हुऐ मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश एक रेकार्डेड खातेदार के विरूद्व किये जो कूनन खिलाफ व अवैधानिक है । रेस्पो0 सं0 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 आरटीएक्ट का प्रस्तुत किया गया जो पैतृक भूमि मानते हुऐ पेश किया गया । रेस्पो0 एक मुस्लिम समुदाय से आता है इसके लिये पैतृक भूमि का सिद्वांत लागू नही होता है । वादगत कृषि भूमि खेत ख0न0 354 व 371 में अपीलांट रेकार्डेड खातेदार है जिसमें अपीलांट की लगभग 40 बीघा जमीन रेस्पोडेंटान की 4–5 बीघा ही कृषि भूमि आती है जिसे दोनो पक्षकारान द्वारा मौके पर पटटीया व तारबंदी कर कब्जा काश्त के उपयोग में ली जा रही है । रेस्पो0/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भोमा के वारिसान अल्लादीन पुत्र गन्नी फौत हाने का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नही किया है तथा अल्लादीन, निजमा, फकीर मोहम्मद, हनीफ पत्नी बाबू व शेर मोहम्मद घींसा के बाबत कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नही किया गया है ओर ना ही कुर्सीनामा पेश किया गया है । वादगत कृषि भूमि मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पती होने एव संयुक्त परिवार की सम्पति होने का कानून में कोई प्रावधान नही है । वादगत कृषि भूमि अपीलांट की रेकार्डेड सहखातेदार काबिज काश्तकार की भूमि है इन तथ्यों पर बिना गौर फरमाये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण कृषि भूमि पर मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है जो कतैई न्यायोचित नही है । इस संबंध न्यायिक दृष्टात प्रस्तुत किये गये है :– आरआरटी 2009 (1) पृष्ठ सं0 25, आरआरटी 2009 (1) पृष्ठ सं0 29, आरआरटी 2013 (2) पृष्ठ सं0 1109 । अतः अधीनस्थ न्यायालय के

द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2023 की पालना स्थगित करवाने का श्रम करावें ।

3. रेस्पो0 अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 354,371 तादादी 15.3528 हैक्टैयर वाके ग्राम रोही पायली तहसील रतनगढ में स्थित है । उक्त वादगत कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पो0 सं0 2 ता 5 की अविभाजित कृषि भूमि है । जिसके विभाजन बाबत रेस्पो0 सं0 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा व धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट के द्वारा अविभाजित कृषि भूमि का नाजायज विक्रय किया जा रहा है व तारबंदी व पटटीयों से नाजायज कब्जा किया जा रहा है जिससे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना अतिआवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिनांक 20.07.2023 को मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के जो आदेश पारित किये गये है वो न्यायोचित है अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2023 की पालना यथावत रखी जावे व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सूनी व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 354,371 तादादी 15.3528 हैक्टैयर वाके ग्राम रोही पायली तहसील रतनगढ में स्थित है । उक्त वादगत कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पो0 सं0 2 ता 5 की अविभाजित कृषि भूमि है । वादगत कृषि भूमि में सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है चूंकि अब रेस्पो0/वादी वादगत कृषि भूमि का विभाजन कराना चाहते है जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 आरटीएक्ट व धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 20.07.2023 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने के आदेश प्रदान किये है वो एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जारी किये गये है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश 39 नियम 3 की पालना कराते हुए उभय पक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान करवाते हुए आदेश जारी किया जाना चाहिये था । अतः वादगत कृषि भूमि ख0न0 354, 371 तादादी 15.3528 हैक्टैयर का रहन बेचान आदि न हो व वाद की बहुलता ना बढ़े, इसके लिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया है की पालना स्थगित किया जाना न्यायोचित नही समझते है।

5. अतः उक्त किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे दोनो पक्षो को सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान कराते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय दो माह मे पारित करें तब तक मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।
6. निर्णय आज दिंनाक 09.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(v’kksd lkaxok½
HkwizcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj